क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल–2,पंचम चरण,रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम / क्षैका किश / पीयूबी–129 / 								दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री भवानी सिंह राजावत रेफरेन्स संख्या 20201000030916 द्वारा ग्रेनाइट एवं मैसनरी स्टोन खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र. स.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पट्टा / रेफरेन्स संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम.)
1	श्री भवानी सिंह राजावत खसरा संख्या 184 / 1	20201000030916	1.9741	ग्रेनाईट	164321
2	मैसर्स हिमांशी ग्रेनाइट	20191000011606	2.4896	ग्रेनाईट	396598
3	श्री शंकर लाल रैगर	201810000770	1.348	ग्रेनाईट	71400
4	मैसर्स हिमांशी ग्रेनाइट	36 / 2007	1.0	ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन	95618
5	श्री छिगना राम मेघवाल	20191000011619	1.2329	ग्रेनाईट	125026
6	श्री झीले सिंह	201810000322	1.0115	ग्रेनाईट	115000
7	श्री धमेन्द्र बैरवा	201910006875	1.19	ग्रेनाईट	135384

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 10.2461 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–1103346 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम डूंगरी कंला, तहसील मालपुरा, जिला टोंक से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि **श्री भवानी सिंह राजावत रेफरेन्स संख्या 20201000030916** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

3. उक्त समूह खनन परियोजनासे सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–
   1. जिला कलक्टर, टोंक।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
   5. तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक।
   6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, डूंगरी कंला, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण / 2021 / 8842 दिनांक 08.11.2021 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 24 / 12 / 2021 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान–राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम डूंगरी, तहसील मालपुरा, जिला–टोंक** में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

(दीपक तॅवर)
पर्यावरण अभियंता
एवं क्षैत्रीय अधिकारी